

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

तहसीलदार, नीमकाथाना बनाम

मुकाम नीमकाथाना

गै.मु.रास्ता (कैरवाली)

मु०न० ५४/सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/904

किस्म मुकदमा :- गै०मु० रास्ता धारा 131 व 132
हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जजनम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तामील
में जारी हुए

08-2025

पत्रावली तहसीलदार, नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2025/1182 दिनांक 14.07.2025 द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 में गैर मुमकिन रास्ता प्रस्ताव प्राप्त होने पर पेशी हुयी। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना ने बताया कि उक्त प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। तहसीलदार, नीमकाथाना को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व (मुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 3 (2) राज-6/2003/ पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 की पालना में तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने बाबत राजस्व ग्राम कैरवाली पटवार मण्डल कोटड़ा तहसील नीमकाथाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 397 रकबा 7.45 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.03 हैक्ट., खसरा नम्बर 395 रकबा 8.06 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.0320 हैक्ट., खसरा नम्बर 393/1 रकबा 0.18 हैक्ट. किस्म बारानी-3 मे से 0.0130 हैक्ट., खसरा नम्बर 393/2 रकबा 0.19 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0150 हैक्ट., खसरा नम्बर 477 रकबा 1.87 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0158 हैक्ट., खसरा नम्बर 479 रकबा 2.14 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.07 हैक्ट., खसरा नम्बर 392 रकबा 0.99 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0130 हैक्ट., खसरा नम्बर 482 रकबा 2.79 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.10 हैक्ट., खसरा नम्बर 470 रकबा 0.08 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0060 हैक्ट., खसरा नम्बर 469 रकबा 1.94 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0360 हैक्ट., खसरा नम्बर 472 रकबा 1.04 हैक्ट. किस्म चाही-3 मे से 0.0240 हैक्ट., खसरा नम्बर 473 रकबा 1.54 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.0368 हैक्ट., खसरा नम्बर 483 रकबा 2.72 हैक्ट. किस्म बारानी-3 में से 0.04 हैक्ट. कुल 04 मीटर चौड़ा तथा 870 मीटर लम्बाई का गै.मु.रास्ता का प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना से मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस प्राप्त हुआ है। रास्ता मौके पर चालू है एवं बारहमासी चलना बताया गया है। ग्राम पंचायत कोटड़ा का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण-पत्र,




राजवीर सिंह यादव

प्रस्ताव के साथ जमाबन्दी, ट्रेस नक्शा, फोटोग्राफ व खातेदारान का सहमति पत्र संलग्न है। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता को बारहमासी व सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै०मु०रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्तावित किया है। पत्रावली का अवलोकन व मौका निरीक्षण करने पर प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर आवागमन हेतु चालू पाया गया। अतः जनहित के आवागमन हेतु मौके पर चालू प्रचलित रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिए नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शों में तरमीम की जावे। उक्त गै.मु.रास्ते का रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी में ही रहेगा। तहसीलदार, नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न भाग रहेगा। तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)